FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

...जाहरू राम वगै.......... बनाम ...अधिकारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर...

...कदमा दा.वा. बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड मुकदमा नं. ...76... सन् 2020

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
2020	वकील वादीगण श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 04/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	1057 / 11.8.20
04/9/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी ~~दौरे~~ /~~अन्य कार्य~~ में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05/1/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
05/1/2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी ~~दौरे~~ /~~अन्य कार्य~~ में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/2/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/3/21	डकबाबी पेशी दे देने पर। पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे /~~अन्य कार्य~~ में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31/3/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
31/3/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप.। प्रतिवादी सं. 1 की तामिल सम्यक रूप से होकर पेशशुदा है। बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तत्पश्चात	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned by TapScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गयी वरवक्त बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।
	पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया गया एवं बहस ~~बकुलाप~~ वकील वादीगण पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादी सं. 1 के दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में वादी सं. 1 का नाम नाहरूराम दर्ज है तथा वादी सं. 2 के दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड में वादी सं. 2 का नाम शिशुपाल राम दर्ज है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर वाद, वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि :-
	<u>आदेश</u>
	तन ग्राम दादिया रामपुरा प० ह० दादिया रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 1336, 1338, 1339, 1340, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1356, 1357, 1358, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1853 ता 1859, 1875 ता 1879, 1280, 1324, 1325, 1409, 1411, 1412/1, 1412/2, 1412/3, ~~[illegible]~~, 441, 442, 1385 लगायत 1400, 1401, 1403, 1403/2264, 1279 के राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 1 का गलत दर्ज नाम "नारसिंह पुत्र शंकरलाल" के स्थान पर वास्तविक, सही व सम्मान जनक नाम "नाहरूराम पुत्र शंकरलाल" तथा वादी सं. 2 का गलत दर्ज

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	नाम "रिछपाल सिंह पुत्र शंकरलाल" के स्थान पर वास्तविक, सही व सम्मानजनक नाम "रिछपाल राम पुत्र शंकरलाल" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तद्नुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/3/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राकेश कुमार) RAS सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला	